

पीठासीन अधिकारी :- श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि०न० - 15/2019(2019/00096)

अनवान : -



धनपत पुत्र नन्दराम जाति जाट महड़ा निवासी डूंगराना तहसील भादरा।

-प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।

-अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत रिकार्ड दुरुस्ती
अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :- श्री खेताराम कस्वा -प्रार्थी
राजपैरोकार -राज० सरकार

निर्णय

दिनांक : 04/03/2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि तहसील भादरा रोही मौजा डूंगराना सम्वत 2067-70 के खाता सं० 53/53 की कुल खसरा 3 की कुल 10.3830 हैक्टेयर मुश्तर्का खाता में 4.326 हैक्टेयर प्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जिसमें प्रार्थी का नाम विरासतन दर्ज करते समय प्रार्थी का सही नाम धनपत पुत्र नन्दराम के स्थान पर धन्नाराम पुत्र नन्दराम दर्ज हो गया।

प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम धनपत की बजाए धन्नाराम दर्ज रहने से प्रार्थी के हितों पर विपरित असर पड़ता है। प्रार्थी के पिता नन्दराम के धन्नाराम नामक कोई लड़का नहीं है जबकि प्रार्थी के आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र इत्यादि में प्रार्थी का नाम धनपत पुत्र नन्दराम दर्ज है। जिनकी फोटो प्रतियां संलग्न प्रार्थना पत्र है जिससे साफ रोशन है। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत डूंगराना के सरपंच द्वारा प्रमाण पत्र भी जारी किया हुआ है जो असल ही संलग्न प्रार्थना पत्र किया जा रहा है।

प्रार्थी का उपरोक्त जमाबन्दी में धनपत की बजाए धन्नाराम- दर्ज रहने से प्रार्थी के हितों पर विपरीत असर पड़ता है। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवा सकता है और उसका बेहतर उपयोग उपभोग नहीं कर सकता। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने नाम उक्त राजस्व रिकार्ड में अंकित अपना नाम धन्नाराम पुत्र नन्दराम के स्थान पर अपना सही एवं वास्तविक नाम धनपत पुत्र नन्दराम दर्ज करा पाने का मजाज कानूनी है।

ऊपर वर्णित कृषि भूमि से संबंधित राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम धनपत के स्थान पर धन्नाराम दर्ज होने से प्रार्थी राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा बैंकों से लेनदेन करने व अन्य राजकीय अनुदान आदि सभी की सरकारी योजनाओं को-ऑन लाईन लाभ प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रार्थी का नाम धन्नाराम दर्ज रहने से प्रार्थी

के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है एवं सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं से वंचित होना पड़ता है। प्रार्थी के रोही मोजा डूंगराना के खाता संख्या 53/53 में प्रार्थी का नाम धनपत दर्ज करने से किसी भी व्यक्ति को कोई चुकसान या परेशानी नहीं होती है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिरे नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी परोकार राज ने जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया।

बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने ग्राम रोही मौजा ग्राम डूंगराना के खाता सं० 53/53 की कुल 10.383 हैक्टेयर मुश्तर्का खाता में राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरुस्त करवाने हेतु पेश किया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि "प्रार्थी का सही नाम धन्नाराम के स्थान पर धनपत दर्ज हो गया।" जिसके समर्थन में प्रार्थी ने अपना शपथ पेश कर प्रमाणित प्रति आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र पेश किये हैं जिनमें प्रार्थी का नाम धनपत अंकित है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त रोही मोजा डूंगराना के खाता संख्या 53/53 में प्रार्थी का नाम "धन्नाराम के स्थान पर धनपत" दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद या जांच धन्नाराम पुत्र नन्दराम के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए धन्नाराम ही प्रभावी माना जायेगा तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और भविष्य में कोई अन्य तथ्य प्रकट होता हो तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेवार होगा। तहसीलदार राजस्व भादरा को आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05.10.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(जयसिंह)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),
भदरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़